न्यायालय, सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **आशा कुमारी** (जिला न्यायाधीश)

सेशन प्रकरण संख्या – 86/2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 95/2025 पुलिस थाना देवगढ़

राजस्थान राज्य बनाम जगदीश

अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	पीड़िता
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	जगदीश पुत्र मेघा, निवासी बारी, पुलिस थाना देवगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री नारायणलाल मईड़ा
लोक अभियोजक	श्री तरूणदास बैरागी
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	06.04.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	14.07.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	17.09.2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	30.10.2025
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	13.11.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	––
निर्णय दिनांक	12.03.2026

C – अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 468 BNSS (पूर्ववर्ती 428 CrPC) के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	जगदीश	11.08.2025	18.11.2025	64(1) BNS	दोषमुक्त	--	11.08.2025 से 18.11.2025

भाग – द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहन की सूची

अ–अभियोजन गवाहन

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
1.	पीड़िता	परिवादिया
2.	महेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी
3.	वरजा बाई	नक्शा मौका की गवाह तथा वाकियाती साक्षी
4.	बालुराम	नक्शा मौका का गवाह तथा वाकियाती साक्षी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
–	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	प्रदर्श पी– 01	नक्शा मौका घटनास्थल
2.	प्रदर्श पी– 02	मूल परिवाद
3.	प्रदर्श पी– 03	पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी– 04	पीड़िता के बलात्कार संबंधी जाँच की रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी– 05	पीड़िता के धारा 183 BNSS के बयान
6.	प्रदर्श पी– 06	पीड़िता के पुलिस बयान
7.	प्रदर्श पी– 07	चाक एफ.आई.आर.
8.	प्रदर्श पी– 08	पीड़िता के धारा 183 BNSS के बयान लेखबद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र
9.	प्रदर्श पी– 09	पीड़िता का मेडिकल कर DNA हेतु DTA कार्ड पर ब्लड सैम्पल लेने हेतु पुलिस तहरीर
10.	प्रदर्श पी– 10	पीड़िता का पहचान फॉर्म
11.	प्रदर्श पी– 11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
12.	प्रदर्श पी– 12	फर्द सूचना द्वारा अभियुक्त
13.	प्रदर्श पी– 13	फर्द मौका तस्दीक द्वारा अभियुक्त
14.	प्रदर्श पी– 14	अभियुक्त का पहचान फॉर्म
15.	प्रदर्श पी– 15	अभियुक्त के पुरूषत्व संबंधी जाँच की रिपोर्ट
16.	प्रदर्श पी– 16	पीड़िता व अभियुक्त के जब्तशुदा सैम्पल को FSL जाँच हेतु भेजने बाबत् पुलिस थाना देवगढ़ का पत्र
17.	प्रदर्श पी– 17	पीड़िता व अभियुक्त के जब्तशुदा सैम्पल को FSL जाँच हेतु भेजने बाबत् पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अग्रेषण पत्र
18.	प्रदर्श पी– 18	FSL प्राप्ति रसीद
19.	प्रदर्श पी– 19	नकल रोजनामचा
20.	प्रदर्श पी– 20	नकल रोजनामचा
21.	प्रदर्श पी– 21	धारा 63(4)(C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर		विवरण
––	––		––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर		विवरण
––	––	––	––

निर्णय दिनांक 12.03.2026

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.05.2025 को परिवादिया ने न्यायालय, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष इस आशय का परिवाद पेश किया कि दिनांक 06.04.2025 को दोपहर 2.00 बजे वह अपने खेत के पास स्थित जंगल में अपनी बकरियाँ चरा रही थी और लकड़ी काट रही थी कि इतने में उसको अकेली देखकर अभियुक्त जगदीश आ गया और उसको पकड़कर नीचे गिरा दिया और कहने लगा कि आज मौका मिला है, आज तेरी इज्जत लेकर रहूँगा। उसे नीचे गिरा कर उसका मुँह दबा दिया और कहा कि चिल्लाना मत, नहीं तो तुझे यही पर जान से खत्म कर दूँगा और ऐसा कहते हुए उसका ब्लाउज फाड़ दिया और उसका घाघरा ऊँचा करके जबरन बलात्कार करने लगा। वह डर के मारे चिल्ला नहीं सकी और अभियुक्त ने जबरन उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ खोटा काम (बलात्कार) किया और उसके गले में पहनी हुई चाँदी की 300 ग्राम वजनी चैन, 100 ग्राम चाँदी का डग, 50 ग्राम चाँदी की चूड़ियाँ लूट लीं और जाते–जाते धमकी देकर गया कि यह बात किसी को बताई, तो उसे व उसके पति को जान से खत्म कर देगा। अभियुक्त करीब 05 वर्ष से उसका पीछा करते हुए उसे परेशान कर रहा है और हाट बाजार व कहीं भी जाती है, तो उसके साथ जबरदस्ती करता है और कहता है कि उसे अपनी औरत बनाकर रहेगा और दिनांक 06.04.2025 को यह वारदात कर दी। उसने अपने घर पर आकर सारी बात अपने पति को बताई। उक्त परिवाद को धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् अनुसंधान बाबत् पुलिस थाना देवगढ़ को प्रेषित करने पर पुलिस थाना देवगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2025 अंतर्गत धारा 64(1), 351(3) भारतीय

न्याय संहिता दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 64(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत् अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

02– दिनांक 30.10.2025 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत् दण्डनीय अपराधों का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने अपराध किया जाना अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03– साक्ष्य अभियोजन में पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तथा पृष्ठ संख्या 03 पर अंकित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया। स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–01 के पक्षद्रोही होने के कारण मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू–02 महेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू–03 बालुराम व पी.डब्ल्यू–04 वरजा बाई के परीक्षित होने के उपरांत अभियोजन पक्ष के निवेदन पर अन्य औपचारिक गवाहान की तलबी बंद की जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

04– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

05– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

06– बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों में पीड़िता पी.डब्ल्यू–01, उसके पति पी.डब्ल्यू–02 बालुराम तथा अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–02 महेन्द्र सिंह की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के तथ्य प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। इसलिये अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

07– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–01 पक्षद्रोही हुई है, जो उसके साथ अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित करने के तथ्य से इन्कार करती है और यह स्पष्ट कथन करती है कि कोई घटना नहीं हुई थी। पीड़िता के पति पी.डब्ल्यू–03 बालुराम के कथनानुसार उनके द्वारा केवल पैसे लेने की नीयत से अभियुक्त के विरूद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। गवाह पी.डब्ल्यू–04 वरजा बाई ने भी अभियुक्त द्वारा पीड़िता का बलात्कार करने के तथ्य से इन्कार किया है।

मामले में पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान लिये गये सैम्पलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक जाँच के लिये भेजा गया है, लेकिन ऐसी कोई FSL रिपोर्ट साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुई है, जिससे पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने के तथ्य पुष्टि नहीं हो पा रही है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

08– मैंने बहस के तर्कों पर गौर किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.04.2025 को दोपहर करीब 2.00 बजे मौजा बारी में जंगल में बकरियाँ चरा रही परिवादिया को पकड़कर जान से मारने की धमकी देकर झाड़ियों में ले जाकर जबरन उसकी इच्छा व सहमति के बिना लैंगिक संभोग कर बलात्कार किया?
02. यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाता है, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

09– उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन करें, गवाह पी.डब्ल्यू–01 पीड़िता है, जिसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी–02 के आधार पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है। लेकिन इस गवाह ने अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी–02 में अंकित तथ्यों का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है और यह कथन किया है कि उसके बयान लेखबद्ध होने से करीब 06 महीने पहले वह बकरियाँ चराने जंगल गई थी। **वहाँ पर उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी** और वह उसके घर पर आ गई थी। आगे गवाह ने पुलिस वालों द्वारा आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 बनाना, उसके द्वारा न्यायालय में इस्तगासा प्रदर्श पी–02 और SP साहब परिवाद प्रदर्श पी–03 पेश करना बताया है। गवाह ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श पी–04 के रूप में प्रदर्शित कराया है, लेकिन यह भी कहा है कि **उसका मेडिकल नहीं हुआ था।** आगे पीड़िता ने उसके न्यायालय में हुए बयान प्रदर्श पी–05 के रूप में प्रदर्शित करवाये हैं।

10– इस प्रकार स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–01 द्वारा अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष की ओर से की गई जिरह में भी पीड़िता ने उसके पुलिस में बयान होने से इन्कार किया है और पुलिस बयान प्रदर्श पी–06 में कथित घटनाक्रम के संबंध में उल्लेखित तथ्यों को उसके द्वारा लिखाये जाने से इन्कार करते हुए उसका अभियुक्त से राजीनामा हो जाना बताया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई जिरह में पीड़िता ने परिवाद प्रदर्श पी–02 उसके

पति के कहने से लिखवाया जाना बताया है और यह स्वीकार किया है कि **उसका अभियुक्त जगदीश से रकम को लेकर झगड़ा था, इसी बात को लेकर उसके पति ने दबाव बनाने व रकम लेने के लिये कोर्ट में परिवाद दिया था।** पीड़िता ने उसके धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान प्रदर्श पी–05 भी उसके पति व पुलिस वालों के कहने से दिया जाना बताया है और पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–03 में क्या लिखा था, यह भी उसे पता नहीं होना और केवल उस पर साईन करना बयान किया है। पीड़िता ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 के संबंध में भी यह कथन किया है कि उसने खाली कागज पर थाने में हस्ताक्षर किये थे और आगे पीड़िता यह स्वीकार करती है कि **अभियुक्त जगदीश ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी।**

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–02 महेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना देवगढ़ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए इस प्रकरण में अनुसंधान करना बयान किया है और अनुसंधान के दौरान पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् बयान लेखबद्ध करवाना, पीड़िता का बलात्कार संबंधी मेडिकल करवाना, अभियुक्त जगदीश को गिरफ्तार कर उसकी निशांदेही से मौका तस्दीक करवाना, अभियुक्त की पुरूषत्व संबंधी जाँच करवाना, पीड़िता व अभियुक्त के DNA जाँच हेतु सैम्पल FSL हेतु भेजना बताया है और अनुसंधान के दौरान की गई रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव के संबंध में धारा 63(4)(C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी करना बयान किया है।

12– गवाह पी.डब्ल्यू–03 बालुराम पीड़िता का पति है। हालांकि यह गवाह यह कथन करता है कि वह उसके सेठ जी के वहाँ पर गया हुआ था और शाम को 6.00 बजे घर गया, तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसके घर के पीछे स्थित जमीन पर बकरियाँ चराने गई थी, वहाँ पर दिन में उसके साथ जबरदस्ती जगदीश ने खोटा काम बलात्कार किया था। यह बात उसे उसकी पत्नी ने बताई थी। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 बनाया था। इस प्रकार अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में हालांकि यह गवाह उसकी पत्नी द्वारा उसे अभियुक्त जगदीश द्वारा उसका बलात्कार करने के संबंध में बताया जाना बयान करता है, लेकिन जिरह में गवाह यह स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी ने जब उसे घटना बताई, तो वह दूसरे दिन रिपोर्ट कराने थाने पर गया था और गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह और उसकी पत्नी दोनों सलाह–मशविरा करके रिपोर्ट कराने थाने पर गये थे। गवाह यह स्वीकार करता है कि पहले भी **उन्होंने जगदीश से डेढ़ लाख रूपये लिये थे।** आगे गवाह यह भी स्वीकार कर रहा है कि **अभियुक्त जगदीश झगड़े के पैसे दे देता, तो वे यह रिपोर्ट नहीं**

कराते। इस प्रकार गवाह के उक्त कथनों से तो यह प्रकट हो रहा है कि केवल झगड़े के पैसे लेने की नीयत से उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसके अलावा इस गवाह ने घटना के बारे में उसे उसकी पत्नी पीड़िता द्वारा बताया जाना बयान किया है, जबकि स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–01 ने यह स्वीकार किया है कि **अभियुक्त जगदीश ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी।**

13– गवाह पी.डब्ल्यू–04 वरजा बाई ने यह कथन किया है कि उसकी बहू पीड़िता ने उसे आकर बताया था कि वह दिन में बकरियाँ चराने गई थी, तो वहाँ पर अभियुक्त जगदीश ने आकर उसे पकड़ लिया था। गवाह के कथनानुसार पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 बनाया था। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में यह गवाह पीड़िता द्वारा उसे जगदीश द्वारा पकड़ लेने के संबंध में कथन कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रही है कि अभियुक्त जगदीश द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया हो और इस संबंध में पीड़िता द्वारा उसे कोई बात बताई गई हो। जिरह में भी गवाह कहती है कि **उसकी बहू के साथ जगदीश ने कोई घटना कारित नहीं की थी और उसकी बहू ने उसे कोई बात नहीं बताई थीं**। गवाह ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं चाहना बयान किया है।

14– इस प्रकार मामले में स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–02 पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है और पीड़िता का यह स्पष्ट कथन रहा है कि **वह बकरियाँ चराने गई, वहाँ पर उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी।** पीड़िता ने जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि **अभियुक्त जगदीश ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी।** पीड़िता ने परिवाद प्रदर्श पी–02 भी उसके पति के कहने से लिखवाया जाना बताया है और उसका व अभियुक्त का रकम को लेकर झगड़ा होने के कारण रकम लेने व दबाव बनाने के लिये उसके द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश कर दिया जाना बयान किया है। पीड़िता का पति पी.डब्ल्यू–03 बालुराम के कथनों से यह प्रकट हुआ है कि केवल झगड़े के पैसे लेने की नीयत से उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसके अलावा इस गवाह ने घटना के बारे में उसे उसकी पत्नी पीड़िता द्वारा बताया जाना बयान किया है, जबकि स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–01 ने अभियुक्त जगदीश द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित करने से इन्कार किया है। पीड़िता की सास पी.डब्ल्यू–04 वरजा बाई ने कहा है कि **उसकी बहू के साथ जगदीश ने कोई घटना कारित नहीं की थी और उसकी बहू ने उसे कोई बात नहीं बताई थीं।** मामले में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–02 महेन्द्र सिंह की साक्ष्य तथा पीड़िता एवं अभियुक्त के जब्तशुदा सैम्पल को FSL जाँच हेतु भेजने बाबत् पुलिस थाना देवगढ़ के पत्र प्रदर्श पी–16, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–17 तथा

FSL प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–18 के आधार पर अभियुक्त तथा पीड़िता के सैम्पलों को FSL जाँच हेतु भेजा जाना प्रकट हुआ है, लेकिन मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई FSL रिपोर्ट साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित नहीं कराई गई है। पीड़िता की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा उसकी सहमति के बिना जबरन बलात्कार करने की साक्ष्य पूर्णतया शून्य है। अभियोजन द्वारा शेष गवाह तर्क किये हैं। अतः पीड़िता की साक्ष्य से पीड़िता के साथ बलात्कार होने के तथ्य की पुष्टि कतई नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

15– अतः अभियुक्त **जगदीश** पुत्र मेघा, निवासी बारी, पुलिस थाना देवगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16– मामले में जब्तशुदा माल को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

17– प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। इसलिये मामले में पीड़िता को कोई प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

18– निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by SAWAN SHARMA
Date: 2026.03.13 13:39:34 +0530

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)